राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांकः– 12.05.2026

कृषि विभाग हेतु Agriculture Research Officer (Plant Pathology) के पदों हेतु आयोग द्वारा विज्ञापित **प्रतियोगी परीक्षा–2024** के अन्तर्गत प्रथम प्रश्न पत्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा (Objective Type) क्रमशः दिनांक 12.10.2025 एवं 16.10.2025 को आयोजित की गई थी।

उपरोक्तानुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न–पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के विरुद्ध **पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking)** में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है–

रोल नम्बर

3135131	3136731	3137182	3137890	3138245	3138802
3140284	3141578	3143923	3144931	3149690	3150024

TOTAL CANDIDATES:- 12

उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अंतिम रुप से सफल अभ्यर्थियों की सूची (परिणाम) संबंधित विभाग (कृषि विभाग) द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा जारी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किये गये सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID के माध्यम से recruitment portal पर My Recruitment → Detailed Form Cum Scrutiny → Apply Now का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन–पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 16.05.2026 से दिनांक 22.05.2026 (रात्रि 11:59) तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन–पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (कृषि विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग (कृषि विभाग) की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन–पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

संबंधित विभाग से दस्तावेज जाँच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

CUT OFF MARKS

CATEGORY		CUT OFF MARKS
S.T.	GEN.	65.28
E.W.S.	GEN.	74.54

(रामनिवास मेहता)
सचिव